न्यायालय—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू—अभिलेख अधिकारी सांचौर, जिला—सांचौर

पीठासीन अधिकारी :— प्रमोद कुमार (आर.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रकरण सं. 04/2018
जीसीएमएस:— 2018/00065

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1.चतराराम पुत्र प्रेमाराम। 2.मृतक सोनाराम पुत्र जीवाराम के कायम मुकाम— अ. आईदान पुत्र सोनाराम। ब. धनाराम पुत्र सोनाराम। स.मलाराम पुत्र सोनाराम। द. रामाराम पुत्र सोनाराम। जातियान मेघवाल निवासीगण कीलवा तह—सांचौर जिला सांचौर		1. हरवा पुत्र दौला। 2. जेता पुत्र दौला। 3. गोवदा पुत्र दौला। 4. अगरा पुत्र धुड़ा। 5. सोनाराम पुत्र धुड़ा। 6. नागजीराम पुत्र धुड़ा। 7. मफाराम पुत्र धुड़ा। 8. रखमों पत्नि धुड़ा। 9. जगसी पुत्र वाला जातियान कलबी निवासीगण कीलवा तह—सांचौर जिला—सांचौर। 10. तहसीलदार भूमिधारी सांचौर।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 आर.एल.आर.एक्ट नियम 1956

तारीख रजू:— 19.07.2018

उपस्थित:—

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री इब्राहीमशॉह ।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 बावजूद तामिल के अनुपस्थित, जवाब बन्द।
3. अप्रार्थी संख्या 10 राज पैरोकार तहसीलदार साचौर उपस्थितं

दिनांक 10.06.2024

निर्णय

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 111,128 आर.एल. आर. एक्ट 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया कि राजस्व मौजा किलवा पटवार हल्का कीलवा तह—सांचौर में प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जा काश्तसुदा के खेत खसरा नम्बर 297 रकबा 2.59 हैक्टयर, खसरा नम्बर 298/841 रकबा 0.49 हैक्टयर, भूमि आई हुई है। हमारी उक्त भूमि के पड़ौस में अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 09 के खातेदार की भूमि खसरा नम्बर 258,298,299 कुल रकबा 2.79 हैक्टयर की स्थित है तथा अप्रार्थीगण बदमाश किस्म के व्यक्ति है जो आये दिन हम प्रार्थीगण के उक्त खातेदार आराजी की माठ को तोड़ते रहते है, तथा माठ तोड़कर हमारी भूमि को उनके खेत में मिलाना चाहते है, हमारे द्वारा हल्का पटवारी से पैमाईश करके माठ कायम करने हेतु कहने पर अप्रार्थीगण माठ कायम करने पर सहमति जाहिर नही की। नकल मौका फर्द तहसीलदार सांचौर के आदेश क्रमांक 29 दिनांक 20.066. 2018 की पालना में पटवारी हल्का कीलवा को जांच तथा सीमाकंन के लिए आदेशित किया गया।

तहसीलदार सांचौर के उक्त आदेश की पालना में हल्का पटवारी कीलवा मौके पर आये मौजा कीलवा पटवार हल्का कीलवा तह—साचौर के खातेदार प्रार्थी चतराराम पुत्र प्रेमाराम कौम मेघवंशी के खेत खसरा नम्बर 298 रकबा 2.59 हैक्टयर, खसरा नम्बर 298/841 रकबा 0.49 हैक्टयर, की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाने हेतु मौके पर प्रार्थी खातेदार व अन्य मौजज लोगों की मौजूदगी में जरीब व लठ्ठा ट्रैस से पैमाइश प्रारम्भ गई। पैमाइश करने पर पाया कि खसरा नम्बर 297 की उत्तरी माठ से लगता हुआ खसरा नम्बर 298/841 रकबा 0.

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

49 हैक्टयर राजस्व नक्शे में आया हुआ है वर्तमान में खसरा नम्बर 298/841 व 298 के बीच कोई माठ के निशानात नही है। तथा खसरा नम्बर 298/841 व 297 के बीच माठ के पुरानी माठ मौके पर बनी हुई है। अर्थात मावै पर खसरा नम्बर 298/841 पूर्ण रूप से खसरा नम्बर 298 के खेत के साथ मिलता हुआ है। खसरा नम्बर 298 व 298/841 के बीच माठ के निशानात करवाने हेतु खसरा नम्बर 298 के खातेदारों को मौके पर बुलाया लेकिन मौके पर हाजिर नही हुए। खसरा नम्बर 298 हरदा जेता वगेरह जाति कलबी की संयुक्त खातेदारी का आया हुआ है। खसरा नम्बर 298 के खातेदार डायाराम ने बताया मौके पर हमारे खेत की माठे भू-प्रबंन्ध (सेटलमेन्ट) से पूर्व से बनी हुई है। हमारे खेत के अन्दर दूसरे खातेदार के नाम कोई खसरा नम्बर दर्ज हुआ है ऐसा हमारी जानकारी में नही है। हम हमारे खेत का मिलान व पुराने रेकर्ड से करवाना चाहते है। लेकिन कोई समय सीमा नही बताई। ऐसी स्थिति में बिना खसरा नम्बर 298 के खातेदारों की सहमति के खसरा नम्बर 298 में 298/841 की माठ के निशानात करवाये जाने संभव नही है।

प्रार्थना पत्र दिनांक 19.07.2018 को दर्ज रजिस्ट्रर होकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 बावजूद तामिल के अनुपस्थित, जवाब बन्द किया गया। व अप्रार्थी संख्या 10 राजपैरोकार उपस्थित।

हमनें पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण ने मौजा किलवा पटवार हल्का कीलवा तह–सांचौर में प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जा काश्तसुदा के खेत खसरा नम्बर 297 रकबा 2.59 हैक्टयर, खसरा नम्बर 298/841 रकबा 0.49 हैक्टयर, भूमि की पैमाईश कर पत्थर गढ़ढी करने का प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना के साथ संलग्न जमांबदी, नक्शा व हल्का पटवारी की मौका फर्द के अनुसार प्रार्थी के उक्त खातेदारी खेत की माठ के अलामात मिटाये जाने एवं उनका सीमाज्ञान कर पत्थर गढढी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः हम प्रार्थना पत्र, प्रार्थीगण स्वीकार करना विधि संगत समझते है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 आर.एल.आर.एक्ट 1956 मौजा किलवा पटवार हल्का किलवा तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 297 रकबा 2.59 हैक्टयर, खसरा नम्बर 298/841 रकबा 0.49 हैक्टयर, भंली भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांचौर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है ओर प्रार्थीगण को निर्देशित यिका जाता है कि राशि 1000 रूपये कमिश्नर शुल्क अदा करे। तहसीलदार साचौर को निर्देशित किया जाता है कि खातेदारान के मध्य राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111–128 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करे तथा प्रार्थीगण के हर्जे खर्चे पर उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा विभाजक चिन्ह रोपित करावे। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहे। तहसीलदार सांचौर को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इस कदर निर्णित होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उक्त आज दिनांक....10/6/2024.....को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner